

कार्यालय जिलाध्यक्ष खासियर (स. प्र.)

मूल निवासी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी राम बानू बांगर
 आत्मज/पत्नी/ससुरा/ससुरा/श्री कालीधर
 नाम खासियर तहसील खासियर जिला खासियर
 मध्य प्रदेश का निवासी है।

क्योंकि वह—

- (1) मध्य प्रदेश में पैदा हुआ/हुई है अथवा
- (2) उसके पालक दम्प, अभिभावक मध्य प्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से रह रहे हैं। अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्य प्रदेश शासन में सेवारत है, अथवा
- (3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में सेवारत है। अथवा
- (4) वह स्वयं उसके पालक राज्य में पिछले 5 वर्षों से कोई अन्न सन्पत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।

इसके अतिरिक्त—

- (1) उसने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। अथवा
- (2) उसने मध्य प्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा पास की है :-
 - (क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा।
 - (ख) आठवीं कक्षा परीक्षा।
 - (ग) चौथी कक्षा परीक्षा।

टीपः—जो अंश लागू न हो काट दिया जाय।



[Handwritten Signature]
 प्राधिकृत अधिकारी
 पदनाम लिखें सील

[Handwritten notes on the left margin:]
 10/2/56
 21/3/56